



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112024-258549
CG-DL-E-08112024-258549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2024/कार्तिक 17, 1946

No. 633]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2024/KARTIKA 17, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 691(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ..संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 में,-
 - i. शब्दों और कोष्ठकों “.....या उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (कम्बाइन हार्वेस्टर के परीक्षण हेतु).....” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“.....या उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (कम्बाइन हार्वेस्टर एवं कृषि ट्रैक्टर के परीक्षण हेतु).....”
 - ii. शब्दों और कोष्ठकों “.....या राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण पथ (एनएटीआरएक्स), इंदौर.....” के पश्चात निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“.....या दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (पावर टिलर के परीक्षण हेतु).....”

[फा. सं. आरटी-11036/28/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2024

G.S.R. 691(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 126,-
 - i. for words and brackets “.....or the Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (for testing of combine harvester).....” the following shall be substituted, namely:-
“.....or the Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (for testing of combine harvester & agricultural tractor).....”

- ii. After the words and brackets “.....or the National Automotive Test Tracks (NATRAX), Indore.....” the following shall be inserted, namely:-

“.....or the Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (for testing of power tiller).....”

[F. No. RT-11036/28/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R.(E) dated the